सहायक क... मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

13/10/25

पत्रावली पेश। वकील परिवादी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा० पत्र को स्वीकार कर नियुक्त निर्णय प्र.स. के लिखा जाकर पत्रावली शामिल [illegible] पत्रावली [illegible] सुनवाई के अवसर दे कर की पत्रावली [illegible] बाद के साथ [illegible] रहे

[signature]

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
238 / 2025	07.10.2025	13.10.2025

बउनवान

1. कमरूदीन पुत्र सुलेमान जाति मेव निवासी बडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश सिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति लबानासिंह निवासी बडी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 हाल निवासी मकान नं0 388 जैन मन्दिर के पास पंचशील नगर मकरवाली रोड अजमेर
2. गुरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति लबानासिंह निवासी बडी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. पारीबाई पुत्री प्रभीबाई जाति लबानासिह
4. मंजीत कौर उर्फ ममता कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति लबानासिंह निवासी बडी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0
5. सिमरनजीत कौर पुत्री जसवीर सिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति लबाना सिख निवासी मकान नं0 — 55 BL - TYPE UPPER FIRST FLOOR NEAR GURUDWARA KH. NO 17/9 PHASE-2 NIHAL VIHAR NANGLOI WEST DELHI
6. हाकमसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति लबानासिख निवासी बडी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजार राज0 हाल निवासी बी— 466 डी डी एम आई जी फलैट चित्रकूट लोनी रोड के पूर्व दिल्ली
7. उप पंजियक महोदय तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एस. बी. बैक ऑफ पटियाना शाखा खैरथल तहसील किशनगढ—बास जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, एस. बी. आई. बैंक शाखा खैरथल तह0 किशनगढ—बास जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री पृथ्वीसिंह यादव —: प्रार्थी अधिवक्ता

श्री सुभाषचन्द शर्मा —: अप्रार्थी अधिवक्ता

सहायक कलक्टर (फा0टै0)
मुण्डावर (खैरथल—तिजारा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद मय प्रार्थना पत्र के अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थना पत्र को दावा का भाग माना जाकर दावा के साथ पढ़ा जावे।
2. यह है कि उक्त वाद के समर्थन में मिन प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा मौका, शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का वाद मय प्रार्थना पत्र प्रायमा फैसाई पूर्णतः आयद वो साबित है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा ळें
3. यह है कि आराजी हाल ख0न0 249 रकबा 0.7000 हैक० वाके ग्राम बडी तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी मुलाहिजा के लिए नकल जमाबंदी प्रा० पत्र के साथ संलग्न है।
4. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी न० 1 ल० 6 की सामलाती की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की अबट आराजी रही है जिस पर सभी सह काश्तकार सामलात में काश्त कर रहे है आज तक कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन अप्रार्थीगण आपस में साजबाज हो गये है जो फसल काश्त करने को लेकर मिनप्रार्थी के साथ आये दिन झगड़ा फिसाद करते है अप्रार्थीगण के साथ सामलात में काश्त करना अब मुश्किल हो गया है तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी का आम सड़क के साथ आम रास्ता के साथ लगता हुआ हिस्सा पर जब्रन कब्जा करके लेना चाहते है तथा मिन प्रार्थी को खेत का बीच का हिस्सा देना चाहते है जिस बाबत दिनांक 3/10/25 को अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम हमारा हिस्सा की तरफ वाली भूमि पर कब्जा करेंगे तथा अब ऐलानिया धमकी देते है कि आगे की शेष भूमि के चार दीवारी लगायेंगे, अप्रार्थीगण ने मेरे हिस्से की आराजी पर भी जब्रन कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थी को धमकी देते है कि तुझे जोडनी हो तो बीच की भूमि पर काश्त कर लेना तथा धमकी दी की हम उक्त आराजी विवादित के हिस्से को गांव के मुठमर्द व प्रभावशाली लोगो को बेच देंगे जो प्लॉटिंग करके दीगर लोगो को बेचान कर देंगे तुम उनका कुछ नहीं बिगाड पाओगे। उक्त विवादित आराजी का अभी विधिक तकारमा नहीं हुआ है विवादित आराजी अबट आराजी है जिसके प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का कानूनन हक व अधिकार हांसिल होता है अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है कि वो सामलाती सह खातेदारी की अबट आराजी के किसी विशिष्ट भाग और रास्ते व सडक की तरफ वाले हिस्से पर जनन लठ के बल पर कब्जा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

करके मकान निर्माण कर तथा चार दीवारी लगाकर या अन्य तरीके से निर्माण करे मिनप्रार्थी के हक हकूक कानूनन सुरक्षित है अपने अधिकारों की रक्षार्थ दावा आदेशात्मक व्यादेश मय हु०ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।

5. यह है कि विवादित आराजी हाल ख0न0 249 रकबा 0.7000 हैक० वाके ग्राम बडी तह० मुण्डावर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलात की सहखातेदारी व सहकाश्तकारी की अबट आराजी रही है जिस अबट आराजी पर अब तक सामलात में काश्त की जा रही है लेकिन अप्रार्थीगण आपस में साज बाज होकर मिनप्रार्थी जो सामाजिक व्यक्ति है लडाई झगडा नही चाहता है को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अप्रार्थीगण गांव के अन्य मुठमर्द व दबंग, प्रभावशाली लोगो से साजबाज होकर विवादित आ० पर अप्रार्थीगण कब्जा करने व अबट आराजी का बिना विधिक तकास्मा कराये दीगर व्यक्ति को विवादित भूमि का सडक व रास्ता की तरफ वाले भाग को रहन वैय से मुन्तकिल करने की ऐलानिया धमकी दिनांक 3/10/25 से दे रहे है जबकि अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार हांसिल नहीं है व बिना विधिक तकास्मा कराये विवादित आराजी का विशिष्ट भाग का बेचान कर सके अप्रार्थीगण अपने उद्देश्यों को अन्जाम देने के लिए अप्रार्थीगण के हौंसले अत्यधिक बढ गये पुनः दिनांक 5/10/2025 को ऐलानिया धमकी देने पर मिन प्रार्थी सामाजिक व ग्रामीण व्यक्ति है इसलिये मिन प्रार्थी को विवादित आराजी में से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी प्राप्त करते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकास्मा कराने का अधिकारी है।

6. यह है कि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में आमादा है जो विवादित आराजी जो अबट है सह–काश्तकारान सामलात में काश्त कर रहे है विवादित आराजी का विधिक तकास्मा आज तक नही हुआ है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रास्ते से लगते हुये व सड़क से लगते हुये हिस्से पर जब्रन लठ के बल पर कब्जा कर लिया तथा विधिक तकास्मा कराये बिना भूमि के विशिष्ट भाग को दीगर लोगो को विक्रय कर दिया तथा मुठमर्द लोगो ने कृषि भूमि पर चार दीवारी लगाने व निर्माण कार्य या अन्य अकृषि कार्य कर विवादित भूमि का रास्ते व सडक के साथ लगते हुये हिस्से पर कब्जा पक्का कर लिया तो मिन प्रार्थी जो ग्रामीण व्यक्ति है को अजहद हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयों पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा मिन प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक व हिस्सा नही मिलेगा व अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर काश्त नहीं करने दी जायेगी तो मिन प्रार्थी को अत्यधिक असुविधा होगी जबकि मिन प्रार्थी के हक व अधिकार कानूनन सुरक्षित है इसलिए अपने अधिकारों के रक्षार्थ कानूनन मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जर्ये आदेशात्मक व्यादेश मय हु०ई दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT ACT एंव आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० एवं मिन प्रार्थी की और से पेश कर निवेदन है कि प्रा० पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आ० हाल ख0न0 249 रकबा 0.7000 हैक० वाके ग्राम बडी तह० मुण्डावर का विधिक तकारमा कराये बिना उक्त भूमि समस्त रकबा पर लठ के बल पर जब्रन कब्जा नहीं करे अप्रार्थीगण मिनप्रार्थी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप ना करे तथा जब्रन कब्जा करके कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करे। विधिक तकारमा कराये बगैर आराजी का कोई विशिष्ट भाग रहन, बय इत्यादि से मुन्तकिल न करे तथा मौका की यथा स्थिति बनाये रखे।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 4 निम्न पेश है –

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 1 गलत है। प्रार्थी नै गलत तथ्यों के साथ पेश किया है। कामयाबी की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थी शुद्ध हस्त नहीं है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 2 गलत है। प्रार्थी ने झूठा शपथ पत्र पेश किया है व अहम तथ्य छिपाये हैं। ना प्रार्थी का केस प्रायमाफेसाई है, ना प्रार्थी को सुविधा का संतुलन है। प्रार्थी को कोई क्षति नहीं हो रही है। प्रार्थी गैर काबिज व गैर वास्ता व्यक्ति है।
3. यह है की प्रार्थना पत्र का जिम्मन 3 बाबत खसरा नं. सही है। शेष जिम्मन गलत है। आराजी पर कोई विवाद नहीं है।
4. यह है प्रार्थना पत्र का जिम्मन 4 सरासर गलत है। मिन अप्रार्थी संख्या 4 व दीगर कास्तकार 1 ल 6 व ज्ञानसिंह की खातेदारी की आराजी थी, जिसका अरसा दराज से बहामी बंटवारा हो रहा था, प्रत्येक खातेदार दीगर खसरा नंबरान से अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे। दिनांक 27/09/2025 को प्रार्थी संख्या 1 नै खसरा नं 249 में करीब 0.09 ऐयर आराजी खरीद कर नामांतरण दर्ज व मंजूर कराया है। कभी भी प्रार्थी उक्त खसरा नं पर काबिज नहीं रहा। प्रार्थी गैर काबिज गैर वास्ता व्यक्ति है। उक्त खसरा नं सड़क से 2 किमी दूर है। मिन अप्रार्थीया व दीगर खातेदारान ने फसल प्याज कास्त कर रखी है। दिनांक 03/10/2025 को मिन अप्रार्थीया से कोई झगड़ा व धमकी व कोई विवाद नहीं हुआ, मिन अप्रार्थीया पूर्व से ही काबिज है तो झगड़ा फसाद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त आराजी कृषि आराजी है, मिन अप्रार्थीया के अलावा समस्त अप्रार्थीगण बासिलसिले रोजगार बाहर रहते हैं। प्रार्थी स्वयं बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है। 0.09 ऐयर आराजी दिनांक 27/09/2025 को खरीद कर नामांतरण सं. 167 दर्ज व मंजूर कराया है, इससे पूर्व ना तो प्रार्थी खातेदार था और ना ही काबिज कास्त था। यदि प्रार्थी मिन अप्रार्थीया से कोई बात करता तो अप्रार्थीया

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

स्वेच्छा से हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों से संपर्क कर 0.09 ऐयर आराजी पर काबिज करा देती। चूंकि प्रार्थी ने आराजी हाल ही में खरीद की है व खातेदार व कास्तकार है, लेकिन प्रार्थी की बदयांति साफ जाहिर कौर है। सामर्थी का मकसद व आप को काम करने बाधा जिसका लेने से कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करना है, जिसका इसको कोई हक नहीं है। प्रार्थी का हिस्सा सुरक्षित है। मिन अप्रार्थीया, प्रार्थी के हिस्से को न तो खुर्ज बुर्ज कर सकती है न ही बेचान कर सकती है। मिन अप्रार्थीया स्वयं विधवा व औरत जात हूँ, प्रार्थी स्वयं मुकदमेबाज व्यक्ति है, जो पहले भी उक्त आराजी पर ही दिनांक 03/10/2025 का वाकूवा बताकर कमरुद्दीन बनाम गुरुदीप नाम का वाद व हाकिम सिंह बनाम बसीरी का वाद विचाराधीन है, जिसमे यथा स्थिति आदेश कायम है। जिनमे भी मिन अप्रार्थीया पक्षकार है। वाद पत्र एक ही आराजी का किया है, जो रेस्जूडिकेटा की श्रेणी में आता है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 5 गलत है। प्रार्थी का कभी उक्त खसरा नंबर में ज्ञानसिंह पुत्र संतोक सिंह काबिज कास्त था, जिसका और मिन अप्रार्थीया व दीगर खातेदारान के मध्य अरसा दराज से बहामी बंटवारा हो रहा था, लेकिन प्रार्थी नै ज्ञानसिंह से जरिये बैयनामा खसरा नं 249 रक्बा 0.70 ऐयर में से 0.09 ऐयर को दिनांक 27/09/2025 को आज से लगभग 13 दिन पूर्व खरीद किया। उक्त दिनांक 27/09/2025 को ही नामांतरण सं 167 दर्ज व मंजूर कराया। जब प्रार्थी स्वयं आराजी क्रय कर सकता है तो मिन अप्रार्थीया को बेचान करने से रोकने का प्रार्थी को कोई हक नहीं है। विधिक तकासमा कराने का कानूनी हक है। प्रार्थी को कोई हक नहीं है कि मिन अप्रार्थीया की आराजी में कोई बाधा उत्पन्न करे व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन 6 गलत है। प्रार्थी कभी उक्त आराजी पर काबिज नहीं रहा। प्रार्थी ने ज्ञानसिंह से उक्त आराजी दिनांक 27/09/2025 को खरीद की है, उससे पहले जानसिंह सहकास्तकार था। ज्ञानसिंह व मिन अप्रार्थीया व अन्य अप्रार्थीगण के मध्य बहामी बंटवारा अरसा दराज से हो रहा था। उक्त खसरा नं मिन अप्रार्थीया ही कास्त कर रही है व मिन अप्रार्थीया का ही कब्जा है। मिन अप्रार्थीया में कभी कोई निर्माण करने की योजना नहीं बनाई, अन्य अप्रार्थीगण का निर्माण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अन्य कास्तकार ग्राम बड़ी में नहीं रहते, वे बासिलसिले रोजगार, अन्यत्र निवास करते है। यदि प्रार्थी, मिन अप्रार्थीया व अन्य अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो मिन अप्रार्थीया के हक हकूक बाधित होंगे, तथा मिन अप्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई रुपयों में नहीं की जा सकेगी व दीगर मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ेगा, चूंकि प्रार्थी 0.09 ऐयर का अभी सहखातेदार बना है, तो मिन आप्रार्थीया का निवेदन है कि प्रार्थी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

का प्रार्थना पत्र अविलंब डिक्री फरमाया जाकर, पृथक से कुरे कायमी की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तुरंत डिक्री फरमाया जावे तथा अन्तरिम निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे, जिससे मिन अप्रार्थीया के अधिकारों पर कुठाराघात न हो 7. यह है प्रार्थना पत्र का जिम्मन 7 गलत है, मिन अप्रार्थीया सम्पूर्ण खसरा नं 249 रकबा 0.70 ऐयर पर काबिज है, सुविधा का संतुलन मिन अप्रार्थीया के पक्षा में है। यदि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने में कामयाब होगा तो मिन अप्रार्थीया को अजहद क्षति होगी तथा अधिकारों पर कुठाराघात होगा जिसके भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाया जावे, आपकी महती कृपा होगी।

काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र 212 RT Act

1. यह है कि मिन अप्रार्थीया आराजी खाता सं 412 खसरा 249 रक्बा 0.70 में खातेदार कास्तकार हूँ। उक्त आराजी दीगर सहकास्तकार के साथ उक्त आराजी पर काबिज कास्त हूँ। उक्त आराजी का बहामी बंटवारा अरसा दराज पूर्व में हो गया था, तब से मिन अप्रार्थीया का पति काबिज कास्त था, उनकी फौतगी के बात मिन अप्रार्थीया काबिज कास्त व उपभोग उपयोग करती चली आ रही हूँ।
2. यह है कि उक्त आराजी में जानसिंह पुत्र संतोक सिंह सहकास्तकार था। मिन अप्रार्थीया के साथ बहामी बंटवारा में शालिम खसरा नं मिन अप्रार्थीया ही कास्त कर रही थी। दिनांक 27/09/2025 को प्रार्थी नै उक्त आराजी जरिये बैयनामा खरीद कर नामांतरण सं 167 दर्ज वो मंजूर करा लिया, जबकि प्रार्थी का कोई अरसा दराज से कब्जा नहीं है ना ही कोई लगान अदा किया है। दावे में अहम तथ्य छिपाए है। प्रार्थी शुद्धह हस्त नहीं है।
3. यह है कि प्रार्थी ने अहम तथ्य प्रार्थना पत्र में नहीं छिपाता तो अदालत श्रीमान को न्याय करने में सहूलियत होती, इसलिए मिन अप्रार्थीया को अदालत श्रीमान से यह गुजारिश करना व रिलीफ मांगना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी, मिन अप्रार्थीया के उपभोग उपयोग में बाधा उत्पन्न ना करे।
4. यह है कि प्रार्थी आराजी खसरा नं 249 में 0.09 ऐयर का क्रेता है, प्रार्थी मिन अप्रार्थीया के उपभोग उपयोग में बाधा उत्पन्न ना करे इसलिए यह रिलीफ मांगना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी का 0.09 ऐयर की तकसमा डिक्री अविलंब पारित की जावे, जिससे मिन अप्रार्थीया के हक व हकूक प्रभावित नहीं होंगे। मिन अप्रार्थीया को अपनी आराजी कास्त करने, उपभोग उपयोग करने, ऋण लेने व अन्य सुविधा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न ना हो।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय)

5. यह है कि काउंटर क्लेम दिनांक 09/10/2025 को कैवियट से वकील की तामील होने पर अंदर अवधि पेश है।

अतः काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र तकसमा डिक्री पारित की जावे। पृथक से 0.09 ऐयर की कुरे कायमी कराई जावे।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम मुण्डावर में स्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमती से बटवारा कर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी विवादित आराजी मे आये दिन आपसी सहमती से हो रहे बटवारे की डोल को मिसमीनार करते रहते है। जब्रन प्रार्थी के हक हिस्से को कब्जा कर जब्रन निर्माण किये जाने की धमकी देते है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा आराजी पर जब्रन कब्जा कर निर्माण कार्य नही जाने का निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है। अप्रार्थी विवादित आराजी को दीगर जगह बेचान किये जाने पर उतारू है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि यह कहना सही है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकाश्त दर्ज रिकोर्ड है और प्रार्थी व अप्रार्थी के आपसी बटवारे के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जे के अनुरूप ही कृषि कार्य कर रहे है। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी पर जब्रर कब्जा नही करना चाहा है। अप्रार्थी शान्ति प्रिय व्यक्ति है, कानून की पालना करता है। कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में कोई विवादित आज दिनांक तक नही हुआ है। विवादित आराजी पर प्रार्थी जब्ररन कोई निर्माण नही कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणा को परेशान करने की नियत से, मनगढत, मिथ्या, बनावटी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी में प्रार्थी सहखातेदार है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये है कि किसी खातेदार काश्तकार को किसी विशेष परिस्थितियो में ही स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व साक्ष्य से यह साबित नही कर पाया कि किस विशेष परिस्थितियो के कारण अप्रार्थी को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावें। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। यदी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

विवादित आराजी पर अप्रार्थी निर्माण कार्य कर लेता है तो प्रार्थी को क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से तक आराजी खसरा नम्बर 249/0.7000 है0 वाके ग्राम बडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (कार्यालय)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)